



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59862

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 780 वर्ष 2026

सत्यपाल एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : राधेश्याम यादव

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 54

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राधे श्याम यादव और राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई है:

"प्रत्यर्थी संख्या-2 को यह आदेश/निर्देश देने हेतु कि वह याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 04.06.2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर, जो कि ग्राम- खरसौल, तहसील- शाहबाद, जनपद- रामपुर के संबंध में दिनांक 30.11.2024 को पारित 30प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत अधिसूचना के निरस्तीकरण के विषय में है, विचार कर निर्णय लें, इस आशय का परमादेश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण ने संबंधित गांव में चकबन्दी अभियान को रोकने के लिए अधिकारियों के समक्ष खुद को प्रस्तुत किया है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण गांव में चकबन्दी अभियान के लिए रुचि नहीं रखते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गांव को 30.11.2024 को उत्तर प्रदेश जोत समेकन अधिनियम, 1953 (इसके बाद "उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन गांव को 30.11.2024 को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से चकबंदी अभियान के तहत लाया गया है।

7. प्रकरण के बैच में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **रिट याचिका संख्या 337/1990 (राजाराम ओझा बनाम चकबंदी आयुक्त, लखनऊ और अन्य) को 31.03.2014 को 2015 (126) आरडी 124** में प्रतिवेदित में अभिनिर्धारित किया है कि उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना सशर्त कानून है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 8 और 9 को यहां उद्धृत किया गया है: -

"8. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उद्धृत प्राधिकारों पर आते हुए, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय, **वाद एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल सींडिकेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1976 आरडी 35** का संदर्भ देना उचित है। इस वाद में यह धारित किया गया कि यू.पी. चकबंदी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएँ कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में नहीं, बल्कि विधायी कार्य के रूप में जारी की जाती हैं। इस निर्णय में निम्नलिखित अभिलेखित है: "जैसा कि पूर्व में धारित किया जा चुका है, अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ राज्य सरकार द्वारा सशर्त विधायी शक्तियों के प्रयोग में जारी की जाती हैं। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यह न्यायालय विधायिका को किसी विषय पर कानून बनाने या किसी क्षेत्र में किसी विधि को लागू करने के लिए परमादेश जारी कर सकता है।" इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 राज्य बनाम सर कमलेश्वर सिंह मनु/एससी/874/2006 में भी यह अवलोकन किया गया कि:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"यह संभवतः यह इरादा नहीं किया जा सकता है कि विधायिका को उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक कानून बनाने के लिए बाध्य होना चाहिए, क्योंकि उस तरह का कोई दायित्व न्यायालय द्वारा विधायी निकाय के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, यह न्यायालय ऐसा आदेश पारित नहीं कर सका जो राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र में चकबंदी की योजना को लागू करने के लिए बाध्यकारी बना देगा जहां उसकी राय में ऐसी योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। यह राज्य सरकार को सशर्त कानून की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के समान होगा।"

9. राज्य द्वारा भरोसा किया गया दूसरा निर्णय देव नाथ केवट बनाम चकबंदी उप निदेशक 1990 आरडी 175 है। यह निर्णय, कृषि और औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्धारित अनुपात पर भरोसा करते हुए, निम्नानुसार कहा गया है: -

"परमादेश की रिट का दायरा अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि जब तक राज्य और प्राधिकरण पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य से इनकार नहीं किया जाता है और राज्य ने वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने से इनकार नहीं किया है, तब तक परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में, अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना जारी करने से इनकार करके यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने उस पर लगाए गए किसी भी सांविधिक कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे प्रकरण में परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। हालांकि, याचिकाकर्तागण के लिए यह खुला है कि यदि सलाह दी जाती है तो वे अपने अभ्यावेदन के साथ राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।"

8. इस न्यायालय ने 2016 (131) आरडी 478, जसमित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि 30प्र0 जोत चकबन्दी नियामवली का नियम 17 अनिवार्य नहीं है।

9. इस न्यायालय ने 2015 (128) आरडी 666, दलीप सिंह और अन्य बनाम विक्रम सिंह और अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि 30प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (1) और 6 (1) के तहत जारी अधिसूचना प्रकृति में विधायी है।

10. 30प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम 17 के दायरे के साथ-साथ 30प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना के खिलाफ रिट याचिका के दायरे पर डिवीजन बेंच के साथ-साथ इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. रिट याचिका *तदनुसार खारिज* की जाती है।

12. लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

23 मार्च, 2026

रमीज

Translated Version. Not for Legal Use.